



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18062022-236696
CG-DL-E-18062022-236696

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2665]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 17, 2022/ज्येष्ठ 27, 1944

No. 2665]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 17, 2022/JYAISTHA 27, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2022

का.आ. 2799(अ).—केन्द्रीय सरकार को पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की राजपत्र संख्या का.आ. 352(अ) दिनांक 27.01.2022, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में, आंध्र प्रदेश राज्य में श्रीकाकुलम जिला में श्रीकाकुलम - अंगुल पाइपलाइन (एसएपीएल) और स्पर पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गेल (इडिया) लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने जनता से प्राप्त आक्षेपों को परीक्षण के उपरांत निपटान कर दिया है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उस में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइनें बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, निर्देश देती है कि पाइपलाइनें बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, पाइपलाइनें बिछाने का प्रस्ताव करने वाली गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुये, सभी विल्लंगमों से मुक्त, गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

श्रीकाकुलम-अंगुल पाइपलाइन (एसएपीएल) परियोजना भूमि अनुसूची					
जिला-श्रीकाकुलम		राज्य : आंध्र प्रदेश			
मंडल का नाम	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	आरे	वर्ग मीटर
नरसनपेटा	देवादि	80	00	5	58
		11	00	0	3
		79/1	00	1	96
		79/2	00	0	1
		12/1	00	0	93
		12/4	00	5	0
		12/5	00	4	95
		13/4	00	0	27
		12/3	00	1	62
		12/2	00	0	3
		13/3	00	2	42
		13/1	00	2	85
		13/2A	00	4	14
		13/2B	00	0	39
		9/5	00	0	5
		9/6	00	4	28
		9/20	00	1	2
		9/19	00	2	72
		9/23	00	3	51
		9/24	00	0	1
		9/18	00	3	29
		9/17	00	2	97
		9/11	00	0	34
		9/15	00	2	85

		9/12	00	3	34
		8/15	00	2	66
		8/16	00	4	8
		8/9	00	0	80
		7	00	1	73
		5/1B	00	3	80
		5/2B	00	0	45
		5/2A	00	4	18
		5/12	00	2	38
		28/2	00	0	67
		28/1	00	1	82
		29/2	00	8	21
		29/1	00	7	97
		29/3	00	1	86
		30/3	00	7	22
		31/2	00	1	11
		31/1B	00	13	13
		32/11	00	4	38
		32/12	00	2	28
		32/10A	00	5	63
		32/7	00	0	92
		32/8	00	5	87
		32/9	00	1	55
		33/6	00	0	4
		33/7	00	10	5
		33/8	00	3	35
		33/1	00	0	96

[फा. सं. एल-14014/125/2022-जीपी-II(ई-43260)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th June, 2022

S.O. 2799(E).—Whereas by the notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas vide S. O. No. 352 (E) dated 27.01.2022 issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of Users in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through Srikakulam – Angul Pipeline (SAPL) & Spur pipeline in the State of Andhra Pradesh by GAIL (India) Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and disposed of by the Competent Authority;

And, whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted its report to Government of India;

And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipelines, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the GAIL (India) Limited, free from all encumbrances.

SCHEDULE

SRIKAKULAM – ANGUL PIPELINE (SAPL)PROJECT					
LAND SCHEDULE					
District-Srikakulam		State : Andhra Pradesh			
Name of Mandal	Name of Village	Survey no.	Area		
			Hector	Are.	Sq.mtr.
Narasannapeta	Devadi	80	00	5	58
		11	00	0	3
		79/1	00	1	96
		79/2	00	0	1
		12/1	00	0	93
		12/4	00	5	0
		12/5	00	4	95
		13/4	00	0	27
		12/3	00	1	62
		12/2	00	0	3
		13/3	00	2	42
		13/1	00	2	85
		13/2A	00	4	14
		13/2B	00	0	39
		9/5	00	0	5
		9/6	00	4	28
		9/20	00	1	2
		9/19	00	2	72
		9/23	00	3	51
		9/24	00	0	1
		9/18	00	3	29
		9/17	00	2	97
		9/11	00	0	34

		9/15	00	2	85
		9/12	00	3	34
		8/15	00	2	66
		8/16	00	4	8
		8/9	00	0	80
		7	00	1	73
		5/1B	00	3	80
		5/2B	00	0	45
		5/2A	00	4	18
		5/12	00	2	38
		28/2	00	0	67
		28/1	00	1	82
		29/2	00	8	21
		29/1	00	7	97
		29/3	00	1	86
		30/3	00	7	22
		31/2	00	1	11
		31/1B	00	13	13
		32/11	00	4	38
		32/12	00	2	28
		32/10A	00	5	63
		32/7	00	0	92
		32/8	00	5	87
		32/9	00	1	55
		33/6	00	0	4
		33/7	00	10	5
		33/8	00	3	35
		33/1	00	0	96

[F. No. L-14014/125/2022-GP-II(E-43260)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.